रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—22

REGISTERED No.—DL—(N) 04/0007/2003—22

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10012022-232513
CG-DL-W-10012022-232513

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 8—जनवरी 14, 2022 (पौष 18, 1943)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 8—JANUARY 14, 2022 (PAUSA 18, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2022

सं. ए-12/11/11/प्रयोगशाला/2017-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (1), उप धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इसके साथ पठित धारा 17 की उप-धारा (2) तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा चिकित्सा पद), भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे प्रयोगशाला सहायक पद से संबंध रखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद (समूह 'ग' पद) भर्ती विनियम, 2022 कहे जाएंगे।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :-

   (क) भारत का नागरिक; अथवा

   (ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो, जो इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. शारीरिक स्वस्थता.- (1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो, जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) जो अभ्यर्थी महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात् इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, वो नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी: शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुरुपी नियुक्ति के समान ही होगा।

6. निरर्हता— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विशिष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

8. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद	511* (2021) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन।	समूह 'ग' गैर-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 (29,200-92,300)	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के मध्य। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए वर्ग 'ग' पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए चालीस वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड तथा लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।

सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली

	पदोन्नति वालों के मामले में भी लागू होंगी		रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हताएं : 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण । 2. सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद में डिप्लोमा एक वर्ष के सुसंगत अनुभव सहित। वांछनीय अर्हता : 1. चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक डिग्री। टिप्पणी :1अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं । टिप्पणी :2अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष। टिप्पणी : समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित परीवीक्षा के सफल समापन हेतु न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य आरंभिक प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पणी: पदधारी द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी पर जाने अथवा अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत उत्पन्न रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाएंगी : (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी; तथा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव धारक टिप्पणी 1: समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्रय पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :- 1. अपर निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) या चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —अध्यक्ष; 2. निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य; 3. चिकित्सा अधिकारी, अधिमानतः संबंधित विशेषज्ञता से (केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से बाह्य नामित व्यक्ति) —सदस्य।	लागू नहीं।

मुखमीत सिंह भाटिया
महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION)

New Delhi, the 3rd January 2022

No. A-12/11/11/Lab/2017-Med.VI—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of Section 97 read with sub-section (2) of Section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (Para Medical Post), Recruitment Regulations, 2010 in so far as it relates to the post of Lab Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Junior Medical Laboratory Technologist in the Employees' State Insurance Corporation, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Junior Medical Laboratory Technologist (Group 'C' Post) Recruitment Regulations, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Nationality. - A candidate for appointment must be,-

   (a) a citizen of India; or

   (b) he or she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

3. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Physical fitness. - (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer or employee in the service.

   (2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

   Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

6. Disqualification. - No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax.- Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation and relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Savings.- Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Medical Laboratory Technologist.	511* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for employees of Employees' State Insurance Corporation upto the age of forty years for appointment by direct recruitment to Group 'C' posts in

					accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualifications; 1. 12th class pass with Science subjects from recognised Board; 2. Diploma in Medical Laboratory Technologist from any Government recognised institution with one year relevant experience. Desirable qualification: 1. Bachelor Degree in Medical Laboratory Science. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note: There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the competent authority of Employees' State Insurance Corporation in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from official of the Central Government; (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employees' State Insurance Corporation Hospital -Chairman; 2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation Hospital -Member; 3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from the Central Government or State Government) -Member.	Not applicable.

MUKHMEET SINGH BHATIA
Director General

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

JAGANATHAN ANANTHA KUMAR